आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्यांक 56)

[24 दिसम्बर, 1959]

आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन तथा उससे सम्बद्ध मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 है ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के लिए नियत तारीख अभिप्रेत है ;

(ख) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र", "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" और "संसद् निर्वाचन-क्षेत्र" के वही अर्थ हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में हैं ;

(ग) "विधि" के अन्तर्गत सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश या मद्रास या उसके किसी भाग में विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत भी हैं ;

(घ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है ;

(ङ) "आसीन सदस्य" से संसद् के या राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य है ;

(च) "अन्तरित राज्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है—

(i) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट और उस राज्य से मद्रास को अन्तरित राज्यक्षेत्र, और

(ii) मद्रास राज्य के सम्बन्ध में, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट और उस राज्य से आन्ध्र प्रदेश को अन्तरित राज्यक्षेत्र ;

(छ) "खजाना" के अन्तर्गत उप-खजाना भी है ;

(ज) राज्य के जिले, तालुक, फिरका, गांव या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1957 की जुलाई के प्रथम दिन उस प्रादेशिक खंड में समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।

भाग 2

राज्यक्षेत्रों का अन्तरण

3. राज्यक्षेत्रों का अन्तरण—नियत दिन से—

(क) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र आन्ध्र प्रदेश राज्य में जोड़े जाएंगे और तब मद्रास राज्य का भाग नहीं रहेंगे ; और

(ख) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र मद्रास राज्य में जोड़े जाएंगे और तब आन्ध्र प्रदेश राज्य का भाग नहीं रहेंगे ।

---

[1] 1 अप्रैल, 1960, देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 2863, तारीख 29 दिसंबर, 1959, भारत का राजपत्र, असाधारण, 1959, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृ० 611.

4. आन्ध्र प्रदेश में प्रादेशिक खण्डों में परिवर्तन—(1) प्रथम अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, चित्तूर जिले में सम्मिलित किए जाएंगे और उसका भाग बनेंगे ; और तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुत्तूर तालुक के गांवों में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों सहित उक्त राज्यक्षेत्र और वे राज्यक्षेत्र, जो नियत दिन के ठीक पूर्व तिरुत्तनी तालुक के कनकम्माछत्रम् तथा तिरुत्तनी फिरकों में समाविष्ट थे किन्तु धारा 3 के आधार पर मद्रास राज्य को अन्तरित नहीं हुए हैं, चित्तूर जिले में सत्यवेदु तालुक नाम से कहलाए जाने वाला तालुक बनेंगे ।

(2) वे राज्यक्षेत्र, जो नियत दिन के ठीक पूर्व तिरुत्तनी तालुक के पल्लीपट्ट और इरूम्बी फिरकों में समाविष्ट थे किन्तु धारा 3 के आधार पर मद्रास राज्य को अन्तरित नहीं हुए हैं, पुत्तुर तालुक में सम्मिलित किए जाएंगे और उसका भाग बनेंगे ।

(3) वे राज्यक्षेत्र, जो नियत दिन के ठीक पूर्व चित्तूर तालुक के मेलपडी फिरके में समाविष्ट थे किन्तु धारा 3 के आधार पर मद्रास राज्य को अन्तरित नहीं हुए हैं, चित्तुर तालुक के चित्तूर फिरका में सम्मिलित किए जाएंगे और उसका भाग बनेंगे ।

(4) प्रथम अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र चित्तूर जिले में पलमानेर तालुक के कुप्पम पश्चिम फिरके में सम्मिलित किए जाएंगे और उसका भाग बनेंगे ।

5. मद्रास में प्रादेशिक खंडों में परिवर्तन—(1) वे राज्यक्षेत्र, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पोन्नेरी तालुक के सत्यवेदु फिरके में और तिरुवल्लूर तालुक के उत्तुकोट्टाई फिरके में समाविष्ट थे किन्तु धारा 3 के आधार पर आन्ध्र प्रदेश राज्य को अन्तरित नहीं हुए हैं, पोन्नेरी तालुक के गुम्मिडीपुंडी फिरके में सम्मिलित किए जाएंगे और उसका भाग बनेंगे ।

(2) द्वितीय अनुसूची के भाग 1 और 2 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, चिंगलपुट जिले के तिरुत्तनी तालुक के नाम से कहलाए जाने वाले तालुक में सम्मिलित किए जाएंगे और एक पृथक् तालुक बनेंगे और उस तालुक में उस अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र, कनकम्माछत्रम् फिरके के नाम से कहलाया जाने वाला एक पृथक् फिरका बनेंगे ।

(3) द्वितीय अनुसूची के भाग 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र क्रमश:—

(क) चिंगलपुट जिले के तिरुवल्लूर तालुक के माप्पेडु फिरके में,

(ख) उत्तर आरकाट जिले के आरकोणम् तालुक के परंगी फिरके में,

(ग) उत्तर आरकाट जिले के आरकोणम् तालुक के आरकोणम् फिरके में,

(घ) उत्तर आरकाट जिले के वालाजापेट तालुक के रानीपेट फिरके में,

(ङ) उत्तर आरकाट जिले के गुडियात्तम् तालुक के गुडियात्तम् पूर्व फिरके में, और

(च) उत्तर आरकाट जिले के तिरुपत्तुर तालुक के वानियंबडी फिरके में,

सम्मिलित किए जाएंगे और उसका भाग बनेंगे ।

6. संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से, संविधान की प्रथम अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के नीचे,—

(क) "1. आन्ध्र प्रदेश" के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"वे राज्यक्षेत्र, जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1) में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में, और आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र, जो आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, इससे अपवर्जित हैं, और" ;

(ख) "7. मद्रास" के सामने की प्रविष्टि में,—

(i) "राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 4" शब्दों और अंकों के पश्चात् "और आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची" शब्द, कोष्ठक और अंक अन्त:स्थापित किए जाएंगे ; और

(ii) "और वे राज्यक्षेत्र, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 6 और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) में उल्लिखित हैं," कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 6 या धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) में या आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित हैं," ।

7. राज्य सरकारों को शक्तियों की व्यावृत्ति—इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों की कोई भी बात, आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य सरकार की, राज्य में किसी जिले, तालुक, फिरका या गांव के नाम, विस्तार या सीमाओं में, नियत दिन के पश्चात्, परिवर्तन करने की शक्ति पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

8. संविधान की चतुर्थ अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से, संविधान की चतुर्थ अनुसूची में, सारणी के द्वितीय स्तम्भ में,—

(क) मद्रास के सामने "17" अंकों के स्थान पर "18" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; और

(ख) "220" अंकों के स्थान पर "221" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

9. अतिरिक्त स्थान भरने के लिए उप-निर्वाचन—(1) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, धारा 8 के आधार पर राज्य सभा में मद्रास राज्य को आबंटित अतिरिक्त स्थान को भरने के लिए उप-निर्वाचन किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अनुसरण में राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की पदावधि 2 अप्रैल, 1962 को समाप्त होगी ।

लोक सभा

10. परिसीमन आदेश की प्रथम अनुसूची का संशोधन—संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1956 की प्रथम अनुसूची, इस अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

11. आसीन सदस्यों के बारे में उपबन्ध—ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसका विस्तार धारा 10 के आधार पर परिवर्तित किया गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार यथा परिवर्तित निर्वाचन-क्षेत्र से उक्त सदन के लिए निर्वाचित किया गया है ।

विधान सभाएं

12. विधान सभाओं की सदस्य संख्या—आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 301 से घटाकार 300 की जाएगी और मद्रास की विधान सभा में कुल स्थानों की संख्या 205 से बढ़ाकर 206 की जाएगी ; और तद्नुसार लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की द्वितीय अनुसूची में, "आन्ध्र प्रदेश" के सामने "301" अंकों के स्थान पर "300" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे और "मद्रास" के सामने "205" अंकों के स्थान पर "206" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

13. परिसीमन आदेश की द्वितीय अनुसूची का संशोधन—संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1956 की द्वितीय अनुसूची, इस अधिनियम की पंचम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

14. परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश सं० 19 का संशोधन—परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश सं० 19, तारीख 4 अक्तूबर, 1954, षष्ठ अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा ।

15. कुछ आसीन सदस्यों के बारे में उपबन्ध—(1) आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा के बडमलपट, वेपनजरि, चित्तर और कुप्पम निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्यों के बारे में, इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा उनके विस्तार में परिवर्तन होते हुए भी, यह समझा जाएगा कि वे इस प्रकार यथापरिवर्तित उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से उक्त सभा को क्रमश: निर्वाचित किए गए हैं ।

(2) मद्रास की विधान सभा के गुम्मिडीपुण्डी, तिरुवल्लूर, आरकोणम्, शोलिंधूर, रानीपेट, गूडियात्तम्, वानियंबडी और उद्नपल्लि निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्यों के बारे में, इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा उनके विस्तार में परिवर्तन होते हुए भी, यह समझा जाएगा कि वे इस प्रकार यथापरिवर्तित उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से उक्त सभा को क्रमश: निर्वाचित किए गए हैं ।

(3) आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा के तिरुत्तनी निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आसीन सदस्यों के बारे में, नियत दिन से, यह समझा जाएगा कि वे आन्ध्र प्रदेश राज्य में सत्यवेदु निर्वाचन-क्षेत्र से उस सभा को निर्वाचित किए गए हैं ।

(4) आन्ध्र प्रदेश की विधान सभा के रामकृष्णराजुपेट निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला आसीन सदस्य, नियत दिन से, उस सभा का सदस्य नहीं रहेगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह मद्रास राज्य में तिरुत्तनी निर्वाचन-क्षेत्र से मद्रास की विधान सभा को निर्वाचित किया गया है ।

विधान परिषदें

16. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार—(1) परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आन्ध्र प्रदेश) आदेश, 1957 में आन्ध्र प्रदेश राज्य या चित्तूर जिले के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इससे मद्रास राज्य को, यथास्थिति, उस राज्य या जिले से अन्तरित राज्यक्षेत्र अपवर्जित है और यह कि इसमें मद्रास राज्य से, यथास्थिति, उस राज्य या जिले को अन्तरित राज्यक्षेत्र सम्मिलित है ।

(2) परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आन्ध्र प्रदेश) आदेश, 1951 में मद्रास राज्य या चिंगलपुट, उत्तर आरकाट या सेलम् जिले के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इससे आन्ध्र प्रदेश राज्य को, यथास्थिति, उस राज्य या जिले से अन्तरित राज्यक्षेत्र अपवर्जित है और यह कि इसमें आन्ध्र प्रदेश राज्य से, यथास्थिति, उस राज्य या जिले को अन्तरित राज्यक्षेत्र सम्मिलित है ।

17. आसीन सदस्य—आन्ध्र प्रदेश या मद्रास की विधान परिषद् के किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसका विस्तार धारा 16 के आधार पर परिवर्तित किया गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में, नियत दिन से, यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार यथा परिवर्तित उस निर्वाचन-क्षेत्र से उक्त परिषद् को निर्वाचित किया गया है ।

भाग 4

उच्च न्यायालय

18. आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तारण और उसे कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) नियत दिन से, आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की अधिकारिता प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों पर विस्तारित होगी ; और

(ख) उस दिन से मद्रास स्थित उच्च न्यायालय को, उक्त राज्यक्षेत्र की बाबत कोई भी अधिकारिता नहीं होगी ।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व मद्रास स्थित उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसी कार्यवाहियां, जो उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा, वादहेतुक के प्रोद्भूत होने के स्थान और अन्य परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए, प्रमाणित की गई हैं, कि वे आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा सुनी और विनिश्चित की जानी चाहिए, ऐसे प्रमाणन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को अन्तरित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, जहां ऐसी किसी कार्यवाही में नियत दिन के पूर्व मद्रास स्थित उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश की बाबत अनुतोष चाहा गया है, वहां अपीलों, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजजात के लिए आवेदनों, पुनर्विलोकन के लिए आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने, सुनने या निपटाने की अधिकारिता मद्रास स्थित उच्च न्यायालय को होगी और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को न होगी :

परन्तु यदि ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों के मद्रास स्थित उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण किए जाने के पश्चात्, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को यह प्रतीत होता है कि वे आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को अन्तरित की जानी चाहिए, तो वह आदेश देगा कि वे इस प्रकार अन्तरित की जाएं और तब ऐसी कार्यवाहियां तद्नुसार अन्तरित कर दी जाएंगी ।

(4) मद्रास स्थित उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई आदेश—

(क) नियत दिन के पूर्व, उपधारा (2) के आधार पर आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को अन्तरित किसी कार्यवाही में, या

(ख) किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसकी बाबत उपधारा (3) के आधार पर मद्रास स्थित उच्च न्यायालय की अधिकारिता बनी रहती है,

सभी प्रयोजनों के लिए, मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में ही नहीं, अपितु आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा ।

(5) आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम या दिए गए निदेश के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, मद्रास स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार है जिसे, मद्रास राज्य से आन्ध्र प्रदेश राज्य को, राज्यक्षेत्रों के अन्तरण पर ध्यान देते हुए, आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार अधिवक्ता के रूप में मान्यताप्राप्त होगा ।

19. मद्रास उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तारण और उसे कार्यवाहियों का अन्तरण—(1) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) नियत दिन से मद्रास स्थित उच्च न्यायालय की अधिकारिता, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों पर विस्तारित होगी ; और

(ख) उस दिन से आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को उक्त राज्यक्षेत्रों की बाबत कोई भी अधिकारिता नहीं होगी ।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में लम्बित ऐसी कार्यवाहियां, जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने के स्थान और अन्य परिस्थितियों पर ध्यान देते हुए प्रमाणित की गई हैं कि वे मद्रास स्थित उच्च न्यायालय द्वारा सुनी और विनिश्चित की जानी चाहिएं, ऐसे प्रमाणन् के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र मद्रास स्थित उच्च न्यायालय को अन्तरित की जाएंगी ।

(3) उपधारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उन उपबन्धों के सिवाय, जो इसमें इसके पश्चात् दिए गए हों, जहां ऐसी किसी कार्यवाही में नियत दिन के पूर्व आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश की बाबत कोई अनुतोष चाहा गया है, वहां अपीलों, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदनों, पुनर्विलोकन के लिए आवेदनों और अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने, सुनने या निपटाने की अधिकारिता आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय को होगी और मद्रास स्थित उच्च न्यायालय को न होगी :

परन्तु यदि ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों के आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण किए जाने के पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को यह प्रतीत होता है कि वे मद्रास स्थित उच्च न्यायालय को अन्तरित की जानी चाहिएं तो वह आदेश देगा कि वे इस प्रकार अन्तरित की जाएं और तब ऐसी कार्याहियां तद्नुसार अन्तरित कर दी जाएंगी ।

(4) आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई आदेश :—

(क) नियत दिन से पूर्व, उपधारा (2) के आधार पर मद्रास स्थित उच्च न्यायालय को अन्तरित किसी कार्यवाही में, या

(ख) किसी ऐसी कार्यवाही में जिसकी बाबत उपधारा (3) के आधार पर आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की अधिकारिता बनी रहती है,

सभी प्रयोजनों के लिए आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में ही नहीं अपितु मद्रास के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के रूप में भी प्रभावी होगा ।

(5) मद्रास स्थित उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम या दिए गए निदेश के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार हो, जिसे आन्ध्र प्रदेश राज्य से मद्रास राज्य को राज्यक्षेत्रों के अन्तरण पर ध्यान देते हुए, मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मद्रास स्थित उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार अधिवक्ता के रूप में मान्यताप्राप्त होगा ।

20. धारा 18 या धारा 19 के अधीन अन्तरित किन्हीं कार्यवाहियों में हाजिर होने या कार्य करने का अधिकार—कोई व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में या मद्रास स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार है या उसमें अटर्नी के रूप में कार्य करने का हकदार है और जो धारा 18 या धारा 19 के अधीन अन्तरित किन्हीं कार्यवाहियों में हाजिर होने या कार्य करने केलिए प्राधिकृत किया गया था, उस उच्च न्यायालय में उन कार्यवाहियों के संबंध में, उसे, यथास्थिति, हाजिर होने या कार्य करने का अधिकार होगा, जिसे वे कार्यवाहियां अन्तरित की गई हैं ।

21. निर्वचन—धारा 18 और 19 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कार्यवाहियां आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में या मद्रास स्थित उच्च न्यायालय में तब तक लम्बित समझी जाएंगी जब तक उस न्यायालय ने पक्षकारों के बीच के सभी विवाद्यकों को, जिनके अन्तर्गत कार्यवाहियों के खर्चों के विनिर्धारण की बाबत विवाद्यक भी हैं, निपटा न दिया हो, और इनमें अपीलें, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए अर्जियां और रिट के लिए अर्जिया भी होंगी ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में या मद्रास स्थित उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उसके न्यायाधीश या खंड न्यायालय के प्रति निर्देश भी है तथा न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए किसी आदेश के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत उस न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा पारित दण्डादेश, दिए गए निर्णय या डिक्री के प्रति निर्देश भी है ।

भाग 5

व्यय का प्राधिकरण

22. विद्यमान विनियोग अधिनियमों के अधीन अन्तरित राज्यक्षेत्रों में व्यय के लिए धन का विनियोग—(1) नियत दिन से, उस दिन के पूर्व राज्य की संचित निधि में से किसी धन के विनियोग के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य या मद्रास राज्य के विधान-मंडल द्वारा 1959-60 वित्तीय वर्ष के किसी भाग की बाबत किसी व्यय को पूरा करने के लिए पारित अधिनियम, भाग 2 के उपबन्धों द्वारा उस राज्य को अन्तरित राज्यक्षेत्रों के संबंध में भी प्रभावी होगा और यह राज्य सरकार के लिए विधियुक्त होगा कि वह से राज्य में किसी सेवा के लिए व्यय की जाने वाली इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत रकम में से कोई रकम उन राज्यक्षेत्रों में खर्च करे ।

(2) आन्ध्र प्रदेश या मद्रास का राज्यपाल, नियत दिन के पश्चात् उस राज्य की संचित निधि से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह नियत दिन से प्रारम्भ होने वाली तीन मास से अनधिक अवधि के लिए, उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी तक उस राज्य को अन्तरित राज्यक्षेत्रों में किसी प्रयोजन या सेवा के लिए आवश्यक समझे ।

23. आन्ध्र प्रदेश और मद्रास के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट—संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की, नियत दिन के पहले की किसी कालावधि के संबंध में आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य के लेखाओं की बाबत

रिपोर्टें, आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्यों में से प्रत्येक राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

24. राजस्व का वितरण—नियत दिन से, संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1957 (1957 का 55) की धारा 3, एस्टेट ड्यूटी एण्ड टैक्स आन रेलवे पैसेंजर फेयर्स (डिस्ट्रीब्यूशन) ऐक्ट, 1957 (1957 का 57) की धारा 3 और 5, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची तथा संविधान (राजस्व वितरण) संख्या 2 आदेश, 1957 के पैरा 3 और 5, ऐसे उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जिसे राष्ट्रपति राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के भाग 2 के उपबन्धों द्वारा किए गए राज्यक्षेत्रों के अन्तरण को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें ।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

25. भूमि और माल—(1) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब भूमि और सब सामान, वस्तुएं और अन्य माल, जिनमें प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के सभी खजानों में रोकड़ अतिशेष सम्मिलित हैं, नियत दिन से, उस राज्य को संक्रांत हो जाएंगे, जिसको वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ।

(2) इस धारा में "भूमि" पद के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर संपत्ति तथा ऐसी संपत्ति में या उस पर के कोई अधिकार सम्मिलित हैं ।

26. करों की बकाया—अन्तरित राज्यक्षेत्रों में अवस्थित संपत्ति पर के किसी कर या शुल्क की बकाया, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया भी है, या किसी ऐसे मामले में, जहां उस कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान अन्तरित राज्यक्षेत्रों में है, वहां किसी अन्य कर या शुल्क की बकाया की वसूली का आन्ध्र प्रदेश या मद्रास का अधिकार उस राज्य का होगा जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ।

27. उधारों और अग्रिमों की वसूली का अधिकार—अन्तरित राज्यक्षेत्रों में किसी स्थानीय निकाय, सोसाइटी, कृषक या अन्य व्यक्तियों को आन्ध्र प्रदेश या मद्रास द्वारा नियत दिन के पूर्व दिए गए किसी उधार या अग्रिम की वसूली का अधिकार उस राज्य का होगा, जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ।

28. आधिक्य में वसूल किए गए करों की वापसी—अन्तरित राज्यक्षेत्रों में अवस्थित संपत्ति पर आधिक्य में वसूल किया गया कर या शुल्क, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व भी है, वापस करने का आन्ध्र प्रदेश या मद्रास का दायित्व उस राज्य का दायित्व होगा, जिसे वे राज्यक्षेत्र अंतरित किए गए हैं, और ऐसे किसी मामले में जहां उस कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान अन्तरित राज्यक्षेत्रों में है, वहां आधिक्य में वसूल किए किसी अन्य कर या शुल्क की वापसी का आन्ध्र प्रदेश या मद्रास का दायित्व, उस राज्य का भी दायित्व होगा, जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ।

29. निक्षेप—अन्तरित राज्यक्षेत्रों में किए गए किसी सिविल निक्षेप या स्थानीय निधि निक्षेप की बाबत आन्ध्र प्रदेश या मद्रास का दायित्व नियत दिन से उस राज्य का दायित्व होगा, जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ।

30. भविष्य निधि—नियत दिन को, सेवा में रत किसी सरकारी सेवक के भविष्य निधि खाते की बाबत आन्ध्र प्रदेश या मद्रास का दायित्व उस दिन से उस राज्य का दायित्व होगा जिसे वह सरकारी सेवक स्थायी रूप से आबंटित किया गया है ।

31. पेंशनें— पेंशनों की बाबत आन्ध्र प्रदेश या मद्रास के दायित्व का प्रभाजन उन राज्यों में ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा उनके बीच करार पाया जाए या, ऐसे करार के अभाव में, ऐसी रीति से किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति, इस अधिनियम द्वारा किए गए राज्यक्षेत्रों के अन्तरण और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 97) की प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के आधारभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

32. संविदाएं—(1) जहां आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य के नियत दिन के पूर्व अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में राज्य के किन्हीं प्रयोजनों के लिए कोई संविदा की है, वहां वह संविदा,—

(क) यदि ऐसे प्रयोजन, नियत दिन से, अन्तरित राज्यक्षेत्रों से अनन्यत: संबंधित प्रयोजन माने जा सकते हैं, तो उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं ; और

(ख) किसी अन्य मामले में, उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, जिसने संविदा की है,

की गई समझी जाएगी और वे सब अधिकार और दायित्व, जो ऐसी किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों, उस सीमा तक, जहां तक वे उस राज्य के अधिकार और दायित्व हैं, जिसने संविदा की थी, उपर्युक्त खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट राज्य के अधिकार और दायित्व होंगे ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि ऐसे दायितवों में, जो किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों, निम्नलिखित भी हैं,—

(क) संविदा से संबंधित कार्यवाहियों में किसी न्यायालय या अन्य अधिकरण द्वारा किए गए आदेश या अधिनिर्णय की तुष्टि करने का कोई दायित्व ; और

(ख) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में या उनके संबंध में उपगत व्ययों की बाबत कोई दायित्व ।

(3) यह धारा उधारों, प्रत्याभूतियों और अन्य वित्तीय बाध्यताओं की बाबत दायित्वों के प्रभाजन से संबंधित इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होगी, और बैंक अतिशेष तथा प्रतिभूतियों के विषय में कार्यवाही, उनके संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति के होते हुए भी, उन उपबन्धों के अधीन की जाएगी ।

33. अनुयोज्य दोष की बाबत दायित्व—जहां नियत दिन के ठीक पूर्व आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य, संविदा भंग से भिन्न किसी अनुयोज्य दोष की बाबत किसी दायित्व के अधीन हैं, वहां वह दायित्व,—

(क) यदि वाद हेतुक, पूर्णतया अन्तरित राज्यक्षेत्र के भीतर पैदा हुआ हो, तो उस राज्य का दायित्व होगा जिसे वे अन्तरित किए गए हैं ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उस राज्य का दायित्व बना रहेगा, जो उस दिन के ठीक पूर्व ऐसे दायित्व के अधीन था ।

34. प्रत्याभूतिदाता के रूप में सहकारी सोसाइटी का दायित्व—जहां नियत दिन के ठीक पूर्व आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी के किसी दायित्व की बाबत प्रत्याभूतिदाता के रूप में देनदार है, वहां वह दायित्व,—

(क) यदि उस सोसाइटी का कार्यक्षेत्र अन्तरित राज्यक्षेत्र तक सीमिति हो, तो उस राज्य का दायित्व होगा, जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं, और

(ख) किसी अन्य दशा में, उस राज्य का दायित्व बना रहेगा, जो उस दिन के ठीक पूर्व ऐसे दायित्व के अधीन था ।

35. उचंत मद—यदि कोई उचंत मद अन्तत: इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में से किसी में निर्दिष्ट प्रकार की आस्ति या दायित्व पर प्रभाव डालने वाली पाई जाती है, तो उसके संबंध में उस उपबन्ध के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

36. कुछ मामलों में आबंटन या समायोजन के लिए आदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—जहां या तो आन्ध्र प्रदेश या मद्रास किसी संपत्ति का हकदार हो जाता है या कोई फायदा प्राप्त करता है या किसी दायित्व के अधीन हो जाता है और नियत दिन से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर किसी राज्य द्वारा किए गए निर्देश पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह न्यासंगत तथा साम्यापूर्ण है कि वह संपत्ति या वे फायदे अन्य राज्य को अन्तरित किए जाने चाहिएं या उसमें से उसे अंश मिलना चाहिए या अन्य राज्य द्वारा उस दायित्व के मद्धे अभिदाय किया जाना चाहिए, वहां उक्त संपत्ति या फायदे का आबंटन दो राज्यों के बीच ऐसी रीति से किया जाएगा या अन्य राज्य, दायित्व के अधीन होने वाले उस राज्य को उसके बारे में ऐसा अभिदाय करेगा, जो केन्द्रीय सरकार उन दो राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् आदेश द्वारा अवधारित करे ।

37. कुछ व्यय का संचित निधि पर भारित किया जाना— इस भाग के उपबन्धों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश या मद्रास द्वारा दूसरे राज्य को संदेय सब राशियां, उस राज्य की संचित निधि पर भारित होंगी, जिसके द्वारा ऐसी राशियां संदेय हों ।

भाग 7

प्रशासनिक उपबन्ध

38. कतिपय वित्तीय निगमों के बारे में उपबन्ध—(1) नियत दिन से, आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन गठित वित्तीय निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस राज्य के लिए इस अधिनियम के भाग 2 के उपबन्धों द्वारा उसके यथा परिवर्तित क्षेत्र के सहित उस राज्य के लिए गठित किया गया है ।

(2) नियत दिन से मद्रास राज्य के लिए गठित मद्रास औद्योगिक विनिधान निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के भाग 2 के उपबन्धों द्वारा उसके यथा परिवर्तित क्षेत्र के सहित उस राज्य के लिए गठित किया गया है ।

39. 1942 के अधिनियम 6 का संशोधन—बहु-एकक सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 की धारा 5क में, उपधारा (1) में "कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी जो, प्रथम नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "या राज्यों के पुनर्गठन से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति के उपबन्धों के आधार पर, कोई ऐसी सहकारी सोसाइटी, जो उस दिन के ठीक पूर्व, जिस दिन पुनर्गठन हुआ है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

40. राज्य विद्युत् बोर्डों के बारे में उपबन्ध और उनकी आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन—(1) नियत दिन से विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अधीन आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के लिए गठित राज्य विद्युत बोर्डों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के भाग 2 के उपबन्धों द्वारा उनके यथा परिवर्तित क्षेत्र के सहित उन राज्यों के लिए गठित किए गए हैं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य विद्युत् बोर्ड के उपक्रम और आस्तियां, जो बोर्ड, यथास्थिति, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में अवस्थित हैं, नियत दिन से, उस राज्य को संक्रांत हो जाएंगी, जिसे वे राज्यक्षेत्र अंतरित किए गए हैं ।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्य विद्युत बोर्डों की आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन उनके बीच ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा नियत दिन से, एक वर्ष के भीतर आन्ध्र प्रदेश और मद्रास सरकारों के बीच करार पाई जाए या ऐसे करार के अभाव में जैसा केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे ।

(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी वह व्यवस्था, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के लिए विद्युत् शक्ति के उत्पादन या प्रदाय की बाबत प्रवृत्त थी, नियत दिन के पश्चात् ऐसे निबंधनों और शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए, प्रवृत्त बनी रहेगी जो आन्ध्र प्रदेश और मद्रास सरकारों के बीच करार पाई जाए, या ऐसे करार के अभाव में, जैसा केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निदेश करे ।

41. आरनियार परियोजना के बारे में विशेष उपबन्ध—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आरनियार परियोजना या उसके प्रशासन के संबंध में मद्रास राज्य के सभी अधिकार और दायित्व नियत दिन को ऐसे समायोजनों के अधीन रहते हुए, जो उक्त राज्यों के बीच करार द्वारा किए जाएं, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्य के अधिकार और दायित्व होंगे या, यदि कोई ऐसा करार नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के भीतर न किया जाए, तो जैसा केन्द्रीय सरकार, परियोजना के प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, अवधारित करे, और कोई ऐसा आदेश उक्त राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से या अन्यथा परियोजना के प्रबन्ध के लिए उपबन्ध कर सकेगा :

परन्तु इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश में, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के बीच हुए पश्चात्वर्ती करार द्वारा फेरफार किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार या आदेश, नियत दिन के पश्चात् परियोजना का विस्तार या उसके और विकास के संबंध में आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के अधिकारों और दायित्वों का भी उपबन्ध करेगा ।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिकारों और दायित्वों में—

(क) परियोजना के परिणामस्वरूप वितरण के लिए उपलभ्य पानी प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार, और

(ख) परियोजना का प्रशासन तथा उसके निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रवर्तन की बाबत अधिकार और दायित्व,

सम्मिलित होंगे किन्तु उनमें मद्रास राज्य द्वारा नियत दिन के पूर्व की गई किसी संविदा के अधीन के अधिकार और दायित्व नहीं होंगे ।

(4) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे साधारणतया इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में विनिर्दिष्ट मामलों में से किसी की बाबत और विशिष्टतया परियोजना को पूरा करने और तत्पश्चात् उसके प्रवर्तन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु कोई भी ऐसा निदेश, उपधारा (1) के अधीन आन्ध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों के बीच हुए किसी करार के पश्चात् या उस उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के पश्चात् जो भी पहले हो, जारी नहीं किया जाएगा या प्रभावी नहीं होगा ।

42. कुछ विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबन्ध—मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 63 में किसी बात के होते हुए भी, आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा या ऐसे राज्य में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्र के बारे में, यदि ऐसा अनुज्ञापत्र नियत दिन के ठीक पूर्व अन्तरित राज्यक्षेत्र के भीतर किस क्षेत्र में विधिमान्य तथा प्रभावी था, यह समझा जाएगा कि वह, उस क्षेत्र में, उस दिन के पश्चात् उस अधिनियम के ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो उस क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त है, विधिमान्य और प्रभावी बना रहा है, और किसी ऐसे अनुज्ञापत्र पर उस राज्य के, जिसे वे राज्यक्षेत्र अन्तरित किए गए हैं, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ऐसे क्षेत्र में उपयोग के लिए विधिमान्य करने के प्रयोजन के लिए प्रतिहस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चात् अनुज्ञापत्र अनुदत्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापत्र से संलग्न शर्तों में परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी ।

43. सेवाओं से संबंधित उपबन्ध—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व आन्ध्र प्रदेश या मद्रास के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहा है, उस दिन से, तब तक इस प्रकार सेवा करता रहेगा, जब तक केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य राज्य के कार्यकलाप के संबंध में अनन्तिम रूप से सेवा करने की उससे अपेक्षा न की जाए ।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, वह राज्य अवधारित करेगी, जिसे आन्ध्र प्रदेश या मद्रास को अनन्तिम रूप से आबंटित प्रत्येक व्यक्ति सेवा के लिए अन्तिम रूप से आबंटित किया जाएगा तथा वह तारीख अवधारित करेगी, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन आन्ध्रप्रदेश या मद्रास को अन्तिम रूप से आबंटित किया गया है, यदि वह उसमें पहले ही सेवा न कर रहा हो, तो उस राज्य में ऐसी तारीख से सेवा करने के लिए उपलभ्य किया जाएगा, जो दो राज्य सरकारों के बीच करार पाई जाए या ऐसे करार के अभाव में, जैसा केन्द्रीय सरकार अवधारित करे ।

(4) इस धारा की कोई भी बात, नियत दिन के पश्चात् संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबन्धों के प्रवर्तन पर, आन्ध्र प्रदेश या मद्रास के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा-शर्तों के अवधारण के संबंध में, प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु नियत दिन के ठीक पूर्व, इस धारा के अधीन आन्ध्र प्रदेश या मद्रास को अनन्तिम रूप से या अन्तिम रूप से आबंटित किसी व्यक्ति के मामले को लागू होने वाली सेवा की शर्तों में उसके लिए अहितकर रूप में परिवर्तन केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय, नहीं किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय सरकार नियत दिन के पूर्व या पश्चात् किसी समय किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और वह राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी ।

44. अधिकारियों को उन्हीं पदों में बनाए रखने के बारे में उपबन्ध—प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस दिन दूसरे राज्य के भीतर आता है, आन्ध्र प्रदेश या मद्रास के कार्यकलाप के संबंध में किसी पद या अधिकार-पद को धारण करता है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस राज्य में वही पद या अधिकार-पद धारण करता रहेगा, जिसमें उस दिन ऐसा राज्यक्षेत्र सम्मिलित किया गया है और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस दिन से ऐसे राज्य की सरकार द्वारा या उसके अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद या अधिकार-पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी सक्षम प्राधिकारी को नियत दिन के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसके ऐसे पद या अधिकार-पद पर बने रहने पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

भाग 8

विधिक और प्रकीर्ण उपबन्ध

45. विधियों का प्रादेशिक विस्तार—धारा 3 के उपबन्धों के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उनसे उन राज्यक्षेत्रों में जिन्हें नियत दिन के ठीक पूर्व कोई प्रवृत्त विधि विस्तारित होती है या लागू होती है, कोई परिवर्तन हुआ है और ऐसी किसी विधि में आन्ध्र प्रदेश या मद्रास के प्रति प्रादेशिक निदेशों का जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो, तब तक यही अर्थ लगाया जाएगा मानो वे नियत दिन के ठीक पूर्व उस राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र हैं ।

46. विधियों के अनुकूलन की शक्ति—आन्ध्र प्रदेश या मद्रास के सम्बन्ध में किसी विधि का लागू होना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, नियत दिन से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण, चाहे वे निरसन के रूप में हों, या संशोधन के रूप में, जैसे आवश्यक या समीचीन हों, कर सकेगी और तब ऐसी हर विधि, जब तक सक्षम विधान-मंडल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाए, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "समुचित सरकार" से संघ-सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित किसी विधि के बारे में केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य विधि के बारे में राज्य सरकार, अभिप्रेत है ।

47. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति— इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किया गया कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, आन्ध्र प्रदेश या मद्रास के संबंध में उसका लागू होना सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए उस विधि का अर्थान्वयन, सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से कर सकेगा, जो उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष के मामले की बाबत आवश्यक या उचित हो ।

48. कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी, आदि को नामित करने की शक्ति—आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य की सरकार, भाग 2 के उपबन्धों द्वारा उस राज्य को अन्तरित किसी राज्यक्षेत्र की बाबत, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो नियत दिन से उस दिन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस अधिसूचना में उपवर्णित प्रयोक्तव्य कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी विधि तद्नुसार प्रभावी होगी ।

49. विधिक कार्यवाहियां—जहां नियत दिन के ठीक पूर्व, आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य इस अधिनियम के अधीन दूसरे राज्य को अन्तरित किसी संपत्ति, अधिकार या दायित्व की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का पक्षकार है, वहां उस दूसरे राज्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राज्य के लिए, जिससे ऐसी संपत्ति, अधिकार या दायित्व अंतरित किए गए हैं, उन कार्यवाहियों में, यथास्थिति, पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है या पक्षकार के रूप में जोड़ा गया है और कार्यवाहियां तद्नुसार चालू रखी जा सकेंगी ।

50. लम्बित कार्यवाही का अन्तरण—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस दिन आन्ध्र प्रदेश या मद्रास राज्य के भीतर आता है, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही, यदि वह कार्यवाही अनन्यत: उन राज्यक्षेत्रों के किसी भाग से संबंधित है, जो उस दिन से उस अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र हैं, तो उस अन्य राज्य में तस्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरी या अधिकारी को अन्तरित हो जाएगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही अन्तरित हो जानी चाहिए, तो वह उस क्षेत्र की बाबत, जिसमें वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही नियत दिन को लम्बित हो, कृत्य कर रहा है, अधिकारिता रखने वाले उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट की जाएगी और उच्च न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) इस धारा में,—

(क) "कार्यवाही" के अन्तर्गत कोई वाद, मामला या अपील भी है, तथा

(ख) किसी राज्य में "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी, या अधिकारी" से अभिप्रेत है—

(i) वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष वह कार्यवाही,यदि वह नियत दिन के पश्चात् संस्थित की जाती तो रखी जाती, या

(ii) शंका की दशा में, उस राज्य का ऐसा न्यायालय, अधिकरण प्राधिकारी या अधिकारी, जो नियत दिन के पश्चात् उस राज्य की सरकार द्वारा या नियत दिन के पूर्व अन्य राज्य की सरकार द्वारा तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के रूप में अवधारित किया जाए ।

51. कुछ न्यायालयों में विधि-व्यवसाय करने का प्लीडरों का अधिकार—कोई व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अन्तरित राज्यक्षेत्रों में किन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में विधि-व्यवसाय करने के हकदार प्लीडर के रूप में नामावलित है, उस दिन से छह मास की अवधि के लिए, इस बात के होते हुए भी कि उन न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उनका कोई भाग अन्य राज्य को अन्तरित कर दिया गया है, उन न्यायालयों में विधि-व्यवसाय करने का हकदार बना रहेगा ।

52. अन्य विधियों से असंगत उपबन्धों का प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

53. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति— यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कोई भी बात कर सकेगा जो ऐसे उपबन्धों से असंगत न हो तथा जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

54. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने केलिए नियम बना सकेगी ।

[1][(1) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

प्रथम अनुसूची

[धारा 3 (क) और 4 देखिए]

मद्रास राज्य से आन्ध्र प्रदेश राज्य को अंतरित राज्यक्षेत्र

(इस अनुसूची में किसी गांव के संबंध में जनगणना कोड संख्या के प्रति किसी निर्देश का यह अभिप्राय: है कि वह 1951 की जनगणना में उस गांव को दी गई कोड संख्या है) ।

भाग 1

1. चिंगलपुट जिले के पोन्नेरी तालुक में निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
संथवेलुर	1	नेलवाय	4
अय्यावरिपालयम्	2	मरुदावडा	5
अंबुर	3	कलाथूर	6

[1] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
गुडालवरिपालायम्	7	गोल्लावारिपालायम्	40
नरसिंगपुर अग्रहारम्	8	चेरवी	41
करिपक्कम्	9	अप्पायपालायम्	44
पुलिवल्लम्	10	मल्लवारपालायम्	46
काडुर	11	समुतिकंडिगै	53
कगारूथिम्मा भूपालपुरम्	12	रेपल्लवाड	54
वित्तायपालायम्	13	राजगोपालपुरम्	55
वरदाय पालायम्	14	बालगोपालपुरम्	56
कम्बक्कम्	15	रंगनाथपुरम्	57
अरुदूर	16	द्वारकापुरम्	58
बथलवल्लम्	17	राल्लकुप्पस्	59
कुम्मारपेदावेंकपुरम्	18	कोल्लाडस्	60
चेदुलापाक्कम्	19	प्रवलवरनेश्वरपुरम्	61
विदियकाडु	20	मट्टुपालायम्	62
शोलाअग्रहारम्	21	गोविंदपुरम्	63
सिलामथूर	22	वनलुर	64
मट्टेरिमिट्टा	23	लक्ष्मीपुरम्	65
तोंडूर अग्रहारम्	24	पेद्दाइट्टिवक्कम्	66
चितमा नितंगल	25	चिन्नयट्टीवक्कम्	67
चिन्नपुडि अग्रहारम्	26	इरुगलम्	68
एनादिवेट्ट	27	अरुर	69
राचेरला	28	अलमेलुमंगापुरम्	130
कोबुरपादु	29	वेंकटराजुकांडिगै	131
मोपुर पल्लि	30	कदिरवेडु	135
चेगमबाक्कम	31	सिरूनांबुदूर	136
चिद्दम अग्रहारम्	32	पेरादम्	137
रामचन्द्रपुरम्	33	अंबक्कम	138
तोन्डम बांट्टु	34	पुदुकुप्पस्	139
अंबिकापुरम्	35	मदनबेडु	140
पंदूर	36	सथ्थवेडु	141
पदिरिकुप्पम्	37	कोत्तमारिकुप्पम्	142
चिन्नपंदूर	38	मदनन्चेरि	144
मदनपालायम्	39	थेंडुकुलि	145

2. चिंगलपुट जिले के पोन्नेरी तालुक में स्थित और मद 1 में विनिर्दिष्ट गांवों में से किसी के पश्चिम की ओर के समस्त वन क्षेत्र ।

3. चिंगलपुट जिले के तिरुवल्लुर तालुक के निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
मुदियूर	1	अलपक्कम्	35
राप्पलपट्टु	2	अलपक्क्मकंडिगै	36
सदाशिवशंकरापुरम्	3	उरूर	37
जमौकेसवापुरम्	4	आगरम्	38
बेंगलमपट्टु	5	देवदारीकोडियंबेडु	39
वेल्लुर	6	बेंगलथुर	40
बीराकुप्पम	7	कुप्पमकंडिगै	41
लक्ष्मीकान्तपुरम	8	पिल्लारिकंडिगै	42
कादीवेडु	9	कोट्टूर	43
जानकीपुरम्	10	सिद्देराजुलंकडिगै	44
राजलुकंडिगै	11	पुलिपेडु तथा गोबर्धनगिरी	45
अनमथुकंडिग	12	मिथिलापुरम्	46
वज्जरवारीकंडिगै	13	ओबुलाराजुकंडिगै	47
कन्नावरम्	14	नारायणराजुकंडिगै	48
तिरूमुरंथकपुरंकोट्टाई	15	करूर तथा कृष्णगिरि	49
चिन्तलकुटा	16	आडिविकोडियंबेडु	50
रघुनाथपुरम् तथा चैगंलवारायकंडिग	17	पुलिकुंद्रम्	51
नायडुगुटा	18	आडिविसंकरापुरम्	52
भूपतिस्वरपुरम्	19	कृष्णपुरम्कंडिगै	53
पिसत्तूर	20	सिलमथुर तथा बंगला	54
अप्पमबट्टु	21	नल्लप्पना नायडुकंडिगै	55
रामगिरि	22	यालूर रावन्ना वरदन्ना कंडिगै	56
कृष्णपरम्	23	चिन्नपट्टु	57
कलनचेरि	24	सुब्बनायडुकंडिगै	58
नगलापुरम्	25	आचमा कंडिगै	59
बेम्बक्कम्	26	करनै	60
कोट्टाकडु	27	पल्लमपटाडै	61
नंदनम्	28	कृष्णपुरम् अग्रहारम्	62
वैटकोडियंबेडु	29	सुरट्टु पल्लि	63
बलिजकंडिगै	30	उरुरपेट	64
मावेट्टीमोलकंडिगै	31	थिम्मानंबाकूम्	65
नीरवाय	32	आथूर	66
वेलूर	33	सिवगिरि	67
राजनगरम्	34	हनुमंतपुरम्	73

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
अलगिरिकंडिगै	74	चेंगलरायपुरम्	78
समशेरबहादुंरपेट	75	पोलिचेट्टिगुंटा	80
श्रीरामपुरम्	76	देसिकुप्पम्	84
सिद्धविनायकपुरम्	77	सेन्नेरि	85

4. मद 3 में विनिर्दिष्ट गांवों के उत्तर की ओर का समस्त वन क्षेत्र तथा देसिकुप्पम्, (जनगणना कोड संख्यांक 84) गांव के उत्तर की ओर का वन क्षेत्र ।

भाग 2

सेलम जिले के कृष्णगिरि तालुक में निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक
ओन्नपनायकोथूर	18
यलियाग्रहारम्	23
कोटमगनपल्लि	24

द्वितीय अनुसूची

[धारा 3 (ख) और 5 देखिए]

आन्ध्र प्रदेश राज्य से मद्रास राज्य को अंतरित राज्यक्षेत्र

(इस अनुसूची में किसी गांव के संबंध में जनगणना कोड संख्या के प्रति किसी निर्देश का यह अभिप्राय है कि वह 1951 की जनगणना में उस गांव को दी गई कोड संख्या है) ।

भाग 1

1. चित्तूर जिले के पुत्तुर तालुक में निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक
गोपालकृष्णपुरम्	134

2. चित्तूर जिले के तिरुत्तनी तालुक में निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
वेलिगारम्	5	केसवराजुपुरम्	16
मेलकलपत्तेड़ा	6	रामचन्द्रपुरम्	17
पल्लिपट	7	चिन्नतिम्मराजुपट्टेडा	18
सुरराजुपत्तेड़ा	8	वेंकटराजुकुप्पम्	19
रंगेपल्ले	9	संगीथकुप्पम्	20
कोलाथूर	10	तिरूमलराजुपेट	21
कोलाथूर-रामरुयखांडिग	11	तिरूनाथराजुपुरम्	22
नेडियम्	12	कुमारराजुपेट	23
आरावसिपट्टेडा	13	मेलापूडी	24
सामंतवाडा	14	रेड्डिपल्लि सुब्बारावखांड्रिग	25
करिमबेडु	15	पुरनाम संजीवीरायुनिखांड्रिग	26

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
पुन्यम्	27	नेमलि	72
पटनम् शेषय्यखांड्रिग	28	मद्दूरु	74
कडापंथंगल	29	चिन्न अथिमंजेरि	79
कावेरिराजुपेट तथा श्री कावेरिराजुलुंगरिपेट	30	नोचिलि	81
बोम्मराजुपेट	31	कीचलम्	82
गोल्लालकुप्पम्	32	रामसमुद्रम्	83
चंद्रपनायडुखांड्रिग	33	उलचिगुरूवाराजुखांड्रिग	84
चिन्नमुरिपल्लि	34	कोनुगारिकुप्पम्	85
केशवराजुकुप्पम	35	गौनिपुरम् बद्रराजखांड्रिग	86
नल्लतूर	45	अलिमेलुमंगापुरम्	87
चिव्वाड	46	सिंगराजपुरम्	88
सिद्धान्तिपुरम्	47	ययमांबपुरम्	89
कोंडापुरम्	48	पोमपडि तथा पोम्मडि	90
पोद्दुटूरपेट (शहरेतर नागर)	49	कोराकुप्पम्	97
रागिमानुखांड्रिग	50	नरसंपेट	99
पंड्वेडु	51	राजनगरम् संथायतम्	100
गंटवारिकुप्पम	52	कन्निकांबपुरम्	101
सीतारामपुरम्	53	बालकृष्णापुरम्	102
वडकुप्पम्	54	द्वारकापुरम्	103
करलम्बाक्कम्	55	कृष्णमराजुकुप्पम्	104
कोनसमुद्रम्	56	वेणुगोपालपुरम्	105
काकालूर	57	रोयसम् वेंकटकृष्णय्या खांड्रिग	106
वेंगलराजुकुप्पम्	58	कृष्णसमुद्रम्	107
रामपुरम्	59	तिरूवेंगलनाथराजपुरम्	109
पूनिमंगडु	60	रामचंद्रपुरम्	110
वेंकटापुर अग्रहारम्	61	तलवेडु	111
कोडिवलसा	63	नारायणसमुद्रम्अग्रहारम्	112
अथिमंजेरि	64	बालकृष्णपुरम्	120
वेंकटपुरम्	65	मरूकमबट्ट	121
कोथकुप्पम्	66	सुब्रमण्यपुरम्	123
पेटाखांड्रिग	67	रामचन्द्रपुरम्	124
जंगलपल्लि	68	शत्रुंजयपुरम्	125
नेडिगुल्लु	69	मेदिनीपुरम्	126
पोंबडि गोल्लकुप्पम्	70	श्रनिवासपुरम्	127
कोंदंड रामपुरम्	71	श्रीनवासय्य खांड्रिग	128

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
गौनीपुरम् चिन्नसुब्बराजु खांड्रिग	135	काशीनाथपुरम्	187
सिद्धय्यगुट खांड्रिग	136	पट्टाभिरामपुरम्	188
मादिराजपेरूमल राजु खांड्रिग	137	वेलायुदकुप्पुम्	189
इलवर्थीमुम्मलराजु खांड्रिग	138	विनायकपुरम्	190
चिरालगुरप्प खांड्रिग	139	कदननगरम्	192
नल्लूर पेरूमलराजु खांड्रिग	140	यज्ञपुरम्	193
उलचिरंगराजु खांड्रिग	141	जनकराजकुप्पम्	194
चिंथलंग्गुंट खांड्रिग	142	आनंघवल्लिपुरम्	196
नल्लूरू वेंकटराजु खांड्रिग	143	त्यागपुरम्	197
सिरूगुमि	144	मोहिनीपुरम्	198
वीरनायडुपालम्	145	अप्पुकोंडय्यखांड्रिग	199
राजकल्लरापुरम्	146	मुत्यालवारिपल्ले	200
सूर्यनगरम्	147	लक्ष्मीपुरम्	201
श्रोत्रियम् बोम्मराजपुरम्	148	राघवनायडुकुप्पम्	202
तेक्कुलूर	149	अय्यावरीनायडु खांड्रिग	203
सिंगसमुद्रम्	161	कोंडापुरम्	204
पेरूकांचि नरसिंहमुनि खांड्रिग	162	अम्मावारिकुप्पम्	205
वीरकावेरिराजपुरम्	163	नारायणपुरम्	206
इररमसेट्रिट नरसिंहमुनि खांड्रिग	164	मोसूर	207
कुमार बोम्मराजपुरम्	165	वंगनूर	208
चंगलवापुरम् अग्रहारम्	166	कृष्णकुप्पम्	209
धरणिवराहापुरम्	167	चेंगलवरायुडुखांड्रिग	210
वेलंजेरि	168	सिरिगिरिराजुबद्दाराजुखांड्रिग	211
श्रीनिवासपुरम्	169	मदुरामपुरम्	212
संदायथम् अंजनैयपुरम्	175	चेंगारेड्डि नारायणरेड्डिखांड्रिग	213
अंजनेयपुरम्	176	संथान वेणूगोपालपुरम्	214
पाकाल नारायण रेड्डिखांड्रिग	178	कोरमंगलम्	215
राजनगरम् (गांव संख्यांक 100 में सम्मिलित)	179	प्रताप उदंडमकरराजपुरम्	216
थाडूरू	180	अगर	217
तलारी थंगल	181	अमृतापुरम्	218
इररप्पनायडुखांड्रिग	182	तिरूतनि (शहरेतर नागर)	219
वीरकनेल्लूर	183	तिरूतनि (ग्रामीण)	220
नेट्टेरि खांड्रिग	184	मेलदेवधानम्	221
मकमांबपुरम्	185	कीलदेवधानम्	222
नारायण पुरम्	186	कावेरीपुरम्	226

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
खंडापुरम्	227	कोंडापुरम्	270
रामकृष्णराजुपट	228	वकटपेरुमलराजुपुरम्	272
भद्रराजुखांड्रिग	229	तिरुनाथराजपुरम्	275
श्रीकृष्णपुरम्	230	वीरमंगलम्	277
तुम्मलचेरूवुखांड्रिग	231	औडिवरहापुरम्	278
महाराजपुरम्	232	माम्बकम्	279
अक्काचिकुप्पम्	233	पेड्डाकदम्बूर	280
बीरकुप्पम्	234	पेड्डुगापुडि	281
पेरुमलमन्यमखांड्रिग	235	देवकीपुरम्	282
वीरकोवेरिराजपुरम्	236	कसवराजुपेट	283
कांचीगुरुवराजखांड्रिग	237	बिक्कसानीवेंगमनायडुखांड्रिग	284
देवसेनापुरम्	240	चिन्नकदंबूर	285
महंकालिपुरम्	242	नायडुघोपु	289
रामजोस्युलुखांड्रिग	243	वदियंगडु	291
बालापुरम्	244	देवलाम्बपुरम मकरराजपुरम्	292
श्रीकालिकापुरम्	245	चिन्ननगापुडि	293
चंद्रविलासपुरम्	246	एरंबी तथा आस्वरेवंथपुरम्	294
रामापुरा अग्रहारम्	247	विरनथूर	295
गोवत्सपुरम्	248	अय्यानेरि	296
श्रीकृष्णपुरम्	249	सिंगराजपुरम्	300
वेलुरूकृष्णमनायडुखांड्रिग	250	गोपालपुरम्	301
लक्ष्मीनरसिंहपुरम्	251	चिन्नरामपुरम्	302
थोंडमनातिनारायणरेड्डिखांड्रिग	252	पेड्डुरामपुरम्	303
सेनागलथूर अग्रहारम्	253	चाणूरमल्लवरम्	304
चेरुकनूर	254	कोलेरि तथा सहस्त्रपदनपुरम्	305
पेरुमथंगल	255	मैलरवाडा	311
कन्निकापुरम्	256	मकमाम्बपुरम्	312
वल्लियम्मपुरम्	257	तिरुमलमूबपुरम्	313
पद्मापुरम्	258	परभ्यांकरपुरम्	314
कार्तिकेयपुरम्	259	मीसरगंटपुरम्	315
पेरुमलथंगल	260	मकमांबपुरम्	316
दमनेरि	266	निलोतपलपुरम्	317
श्वेतवरहापुरम्	267	पद्मपुरम्	318
वेल्लथूर	268	पैवलसा	319
अम्मनेरी	269	कटारिकुप्पम	320

भाग 2

चित्तूर जिले के तिरुत्तनी तालुक में निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
आरुम्बक्कम्	75	तिरुवेलागंडु	287
आरुंगोलम्	91	नरथावाडा	288
थिरूक्कोलम्खांड्रिग	92	धनुष्यपुरम्	290
मामंडूर	113	पलायानूर	297
नेक्कीनियाग्रहारम्	115	भागवत पट्टाभिरामपुरम्	298
नेक्कीनिपेटा	116	पुलवनल्लुरु	299
वेणुगोपालकृष्णपुरम्	117	बानपुरम्	306
नेदाम्बरम्	129	ब्यासपुरम्	307/1
रघुनाथपुरम्	130		और 307/2
सितापुरम्	131	राजपद्मपुरम्	308
पंत्रथंगल	132	राजरतनपुरम्	309
पनापक्कम्	133	जागीरमेंगलम्	310
आरकोटकुप्पम्	150	श्रोत्रियम् पट्टाभिरामपुरम्	
गुलूर	151	तथा चिन्नमपेट	324
कांजीपडी	152	थोलुडावूर	325
रंगपुरम्	153	मरुडावल्लिपुरम्	326
नबलूर	170	मानूर	327
कुन्नथूर	171	कुप्पमखांड्रिग	328
इलुपुर	172	हरिश्चन्द्रपुरम्	329
मद्दुकोंडापुरम्	173	लक्ष्मीविलासपुरम्	330
रामापुरम्	223	शौनकापुरम्	331
कावेरीराजुपुरम्	238	ओराथूर	332
कूर्मवेलासपुरम्	239	पाकसाल	333
रामलिंगपुरम्	261	जप्तिश्रोत्रियम् रामापुरम्	334
परासपुरम्	262	पेद्दाकलाकत्तुर	335
वेणुगोपालपुरम्	263	चिन्नमंडली	336
वीरराघवपुरम्	286	कालम्बाकम्	338

भाग 3

चित्तूर जिले के तिरुत्तनी तालुक में निम्नलिखित गांव :

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
चित्रम्बकम्	337		

भाग 4

चित्तूर जिले के तिरुत्तनी तालुक में निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
पेरूमलराजुपेटा	321/1	थंडलम्	322
और	321/2	नन्दीमंगलम्	323

भाग 5

चित्तूर जिले के तिरुत्तनी तालुक में निम्नलिखित हेमलेट :—

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
आंबरिशपुरम्	307/3	सूकापुरम्	307/14

भाग 6

1. चित्तूर जिले के चित्तूर तालुक में निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
आवुलरंगय्यपल्ले	248	ईरूकम्बत	365
गोल्लावारीपल्ले	277	बेल्लिमलै	366
थेंगल	279	मुथारासिकुप्पम्	368
बलेकुप्पम्	280	वेन्नमपल्ले	369
अम्मावारीपल्ले	337	कोडुक्कंथगल	370
कोडमानयानीपालम्	351	एलयनेल्लूर	371
परमसत्तु	352	थेम्पल्ले	372
मदण्डकुप्पम्	353	श्रीपादनेल्लूर	373
गोल्लापल्ले	354	वेप्पालै	374
माहिमंडलम्	363	मलपदि	375
परूमाल्लकुप्पम्	364		

2. माहिमण्डलम् (जनगणना कोड संख्यांक 363) गांव के उत्तर तथा दक्षिण की ओर का समस्त वन क्षेत्र ।

भाग 7

1. चित्तूर जिले के चित्तूर तालुक में निम्नलिखित गांव :—

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
दक्षिणपाथपल्ल	290	विलूदोनापोलियम्	299
पुट्टवारीपल्ले	295	वरदाड्रिरेडपल्ले	300
रगसमुद्रम्	297	वीरिसट्रीटपल्ले	301
विद्याशंकरपुरम्	298	परदरामी	302

2. उपर्युक्त गांवों और गुडियात्तम् तालुक के बीच आने वाला वन क्षेत्र ।

भाग 8

चित्तूर जिले के पलमनेर तालुक में निम्नलिखित क्षेत्र :—

(क) निम्नलिखित सीमाओं द्वारा घिरा हुआ जवाजीरामसमुद्रम् तालाब के चारों ओर का क्षेत्र :—

(i) पूर्व की ओर, मद्रास राज्य के उत्तर-अर्काट जिले के तिरूप्पतूर तालुक के अलासंदपुरम् गांव (जनगणना कोड संख्यांक 33) में सम्मिलित जवाजीरामसमुद्रम् गांव और आन्ध्र प्रदेश राज्य के बीच की विद्यमान सीमा द्वारा ;

(ii) दक्षिण की ओर, उक्त जवाजीरामसमुद्रम् गांव और आन्ध्र प्रदेश राज्य के बीच की विद्यमान सीमा और उसके संलग्न पहाड़ी की चोटी तक सीधे पश्चिम की ओर के विस्तार के द्वारा ;

(iii) पश्चिम की ओर, उक्त तालाब के पश्चिम की ओर की दो पहाड़ियों की चोटी के साथ-साथ जाने वाली रेखा द्वारा ; और

(iv) उत्तर की ओर, उक्त तालाब के उत्तर की ओर की चारों पहाड़ियों की चोटियों के साथ-साथ जाने वाली और उक्त जवाजीरामसमुद्रम् गांव के पश्चिम-उत्तर कोण तक संयुक्त रेखा द्वारा ;

(ख) निम्नलिखित सीमाओं द्वारा घिरा हुआ गोलापल्ले तालाब के चारों ओर का क्षेत्र—

(i) पूर्व और दक्षिण की ओर, मद्रास राज्य के उत्तर-अर्काट जिले के तिरूपत्तूर तालुक के अलासंदपुरम् गांव (जनगणना कोड संख्यांक 33) में सम्मिलित गोलपल्ले गांव और आन्ध्र प्रदेश राज्य के बीच की वर्तमान सीमा द्वारा ;

(ii) पश्चिम की ओर, उक्त तालाब के पश्चिम की ओर स्थित पहाड़ी के तल के साथ-साथ जाने वाली रेखा द्वारा ; और

(iii) उत्तर की ओर, उक्त तालाब के उत्तर की ओर स्थित पहाड़ी के तल के साथ-साथ जाने वाली रेखा द्वारा ।

तृतीय अनुसूची

[धारा 4(1) देखिए]

(इस अनुसूची में किसी गांव के संबंध में जनगणना कोड संख्या के प्रति किसी निर्देश का यह अभिप्राय: है कि वह 1951 की जनगणना में उस गांव को दी गई कोड संख्या है) ।

पुत्तूर तालुक के नगरी फिरका में निम्नलिखित गांव :

	जनगणना कोड संख्यांक		जनगणना कोड संख्यांक
पादिरी	147	चवरम्बाकम्	157
अरूर	150	कचेरवेडू	158
कनमराजुपालियम, इल्लसमुद्रम्, कैपाकम्	151	इलक्ट्टूर, माथुश्री वेंकटमांबपुरम्, थिप्पापुरम्,	159
कालिकमापुरम्	152	इल्लूपुरूमिया खांड्रिग	
बूचिवानाथम्, सामिरेड्डिकांडिगै, इष्टकामे-	153	श्रीरामपुरम्, पद्मपटेटडा, सदाशिवपुरम्	173
श्वरपुरम्, अग्रहारम्, सीतारामपुरम्,		कवनूर, पलुकुरू सुब्बरायडु खांड्रिग	174
गंगामाबपुरम्, अम्मागुंटा		कोप्पडु आचर्युलु खांड्रिग, कोप्पडु कापुलु खांड्रिग	175
पन्नूर	154	कीलपुडि गजसिंगराजपुरम्, अक्कागारिपेट	176
जगन्नाथपुरम्	155	निंद्रा, समयापुरम्	177
कलिम्बकम्, माधवरम्	156	नेट्टिरि	178

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 10 देखिए)

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1956 की

प्रथम अनुसूची के उपान्तरण

1. "1—आन्ध्र प्रदेश" भाग के अन्त में का "टिप्पण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण 2**—इस भाग के स्तम्भ 3 में चित्तूर जिले के प्रति निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय: होगा, जो आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित उस जिले के भीतर नियत दिन को समाविष्ट है ।" ।

2. "7—मद्रास" भाग में,—

(क) क्रम संख्यांक 194 के सामने, स्तम्भ 3 में, प्रविष्टि में "पोन्नेरी तालुक में गुम्मिडीपुंडी तथा सत्यवेडू फिरका" शब्दों के स्थान पर "पोन्नेरी तालुक में गुम्मिडीपुंडी फिरका" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्यांक 195 के सामने, स्तम्भ 3 में, प्रविष्टि में, "तिरूवल्लूर तालुक और गुम्मिडीपुंडी तथा सत्यवेडू फिरके" शब्दों के स्थान पर "तिरूवल्लुर तथा तिरुत्तनी तालुक और गुम्मिडीपुंडी फिरका" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) अन्त का टिप्पण "टिप्पण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण 2**—इस भाग के स्तम्भ 3 में किसी जिला, तालुक या फिरका, जिसका विस्तार आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 द्वारा परिवर्तित किया गया है, के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय: होगा जो उस अधिनियम में, यथापरिभाषित उस जिले, तालुक या फिरके के भीतर नियत दिन को समाविष्ट क्षेत्र है ।" ।

पंचम अनुसूची

(धारा 13 देखिए)

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1956 की द्वितीय अनुसूची के उपान्तरण

1. "1—आन्ध्र प्रदेश" भाग में,—

(क) क्रम संख्यांक 118 के सामने स्तम्भ 2 और 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: "सत्यवेडू" और "सत्यवेडू तालुक; और पुत्तुर तालुक में नगरि फिरका" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(ख) समस्त क्रम संख्या 119 का लोप किया जाएगा ;

(ग) अन्त का टिप्पण "टिप्पण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण 2**—इस भाग के स्तम्भ 3 में किसी जिला, तालुक या फिरका जिसका विस्तार आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 द्वारा परिवर्तित किया गया है, के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय: होगा जो उस अधिनियम में यथापरिभाषित उस जिले, तालुक या फिरके के भीतर नियत दिन को समाविष्ट क्षेत्र है ।" ;

(घ) उपाबन्ध में, सम्पूर्ण (63) तथा (64) भागों का लोप किया जाएगा और भाग (62) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**(62)**

पुत्तुर तालुक में नगरि फिरका में समाविष्ट गांव :—

1	सत्रवाड	12	वीरकावेरीराजपुरम्
2	मिट्टपालेम	13	कीलापट्टू
3	मुदिपल्ले	14	नेट्टमकंडिगै
4	सरस्वतिविलासपुरम्	15	श्री वेंकटपेरूमलराजपुरम्
5	मेलापट्टू	16	नागराजकुप्पम्
6	थेरानी	17	धर्मावरम् वेंकटरामय्या खांड्रिग
7	एकमबाराकुप्पम	18	कन्निकापुरम्
8	सालवापट्टेडा	19	थिरुमलराज कंडिगै
9	नगरि	20	श्रीरंगनगर अग्रहारम्
10	तडकु	21	वेलवादि
11	तडकुपेट	22	मंगडू

23	बुग्ग अग्रहारम्	28	इरुगुवाय
24	धमरपाकम्	29	थुंबूर
25	अयनम्बकम्	30	नैनारू
26	तिरुपथि वेंकटाचार्युलू खांड्रिग	31	पलमंगलम् दक्षिणापु खांड्रिग
27	अगरम्	32	पलमंगलम् उत्तरपु खांड्रिग ।" ।

2. "7—मद्रास" भाग में,—

(क) क्रम संख्यांक 13 के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टि में "गुम्मिडीपुंडी और सत्यवेडु फिरके" शब्दों के स्थान पर "गुम्मिडीपुंडी फिरका" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्यां 14 के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"पोन्नेरी तालुक में गुम्मिडीपुंडी फिरका तथा तिरुवल्लुर तालुक में [परिशिष्ट की मद (1) में विनिर्दिष्ट गांवों को अपवर्जित करते हुए] कन्नीगैप्पर फिरका" ;

(ग) क्रम संख्यांक 15 के सामने स्तम्भ 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"[कन्नीगैप्पर फिरका को अपवर्जित करके किन्तु परिशिष्ट की मद (1) में विनिर्दिष्ट गांवों को सम्मिलित करते हुए] तिरुवल्लुर तालुक; और तिरुत्तनी तालुक में कनकम्माछत्रम् फिरका; ";

(घ) क्रम संख्यांक 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"15क	तिरुत्तनी (कनकम्माछत्रम् 1 फिरका को अपवर्जित करके)	कुछ नहीं कुछ नहीं ;
	तिरुत्तनी तालुक	

(ङ) क्रम संख्यांक 32 और क्रम संख्यांक 34 के सामने स्तम्भ 3 में प्रविष्टि में "(1)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(1क)" कोष्ठक, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(च) अंत का टिप्पण "टिप्पण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा अर्थात् :—

"**टिप्पण 2**—इस भाग के स्तम्भ 3 में किसी जिला, तालुक या फिरका जिसका विस्तार आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 द्वारा परिवर्तित किया गया है, के प्रति किसी निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो, उस अधिनियम में यथापरिभाषित उस जिले, तालुक या फिरके के भीतर नियत दिन को समाविष्ट क्षेत्र है ।" ;

(छ) परिशिष्ट में "उत्तर-अर्काट जिला" शीर्ष को जिस पर "(1)" संख्या है "(1क)" के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार यथापुन:संख्यांकित उस शीर्ष के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**चिंगलपुट जिला**

(1)

तिरुवल्लूर निर्वाचन-क्षेत्र में सम्मिलित तिरुवल्लूर तालुक में कन्नीगैप्पर फिरका के गांव :—

1	सेमवेडू	9	धरमपाक्कम्
2	वेंगाल	10	कोमकवेडु
3	अवनम्बाक्कम्	11	करनी
4	अगरम्	12	कोडूवलि
5	मगराल	13	सिंगालिकुप्पम्

6	सेथूपाक्कम्	14	अयलचेरि
7	गुरुवायल	15	पुडूकुप्पम् ।" ।
8	आरकम्पट्टु		

षष्ठ अनुसूची

(धारा 14 देखिए)

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्यांक 19, तारीख 4 अक्तूबर, 1954 के उपान्तरण

1. सारणी ख में,—

(क) क्रम संख्यांक 121 के सामने स्तम्भ 2 और 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: "सत्यवेडू" और "सत्यवेडू तालूक; और पुत्तुर तालुक में नगरिफिरका" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ;

(ख) सम्पूर्ण क्रम संख्यांक 122 का लोप किया जाएगा ;

(ग) अन्त में का टिप्पण, "टिप्पण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"**टिप्पण 2**—इस भाग के स्तम्भ 3 में किसी जिला, तालुक या फिरका जिसका विस्तार आन्ध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 द्वारा परिवर्तित किया गया है, के प्रति निर्देश का उस क्षेत्र से अभिप्राय: होगा जो उस अधिनियम में यथापरिभाषित उस जिले, तालुक या फिरके के भीतर नियत दिन को समाविष्ट क्षेत्र है ।" ।

2. अनुसूची में, सम्पूर्ण (63) और (64) भागों का लोप किया जाएगा और भाग (62) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**(62)**

पुत्तुर तालुक में नगरि फिरका में समाविष्ट गांव :—

1	सत्रवाड	17	धर्मावरम् वेंकटरामय्या खांड्रिग
2	मिट्टपालेम	18	कन्निकापुरम्
3	मूदिपल्ले	19	थिरूमलराज कंडिगै
4	सरस्वतिविलासपुरम्	20	श्रीरंगनगर अग्रहारम्
5	मेलापट्टू	21	वेलवादि
6	थेरानी	22	मंगडू
7	एकमवाराकुप्पम	23	बुग्ग अग्रहारम्
8	सालवापट्टेडा	24	धमरपाकम्
9	नगरि	25	अयनम्बकम्
10	तडकु	26	थिरूपति वेंकटाचार्युलू खांड्रिग
11	तडकुपेट	27	अगरम्
12	वीरकावेरीराजपुरम्	28	इरुगुवाय
13	कीलापट्टू	29	थुम्बुर
14	नेट्टमकंडिगै	30	नैनारू
15	श्री वेंकटपेरूमलराजपुरम्	31	पलमंगलम् दक्षिणपु खांड्रिग
16	नागराजकुप्पम	32	पलमंगलम् उत्तरपु खांड्रिग ।" ।